











# सम्पादकीय

# जुल्म की इबारत

इन प्रदर्शनों को देखकर लगता है कि लोग उस दौर के जुल्मों को भूले नहीं हैं और वे पिछले 20 वर्षों में मिली आजादी भी गंवाने के लिए तैयार नहीं हैं। इन विरोध प्रदर्शनों को जिस तरह से दबाने की कोशिश हुई, उसने नई और सुधारी हुई छवि के तालिबान के दावों पर भी सवालिया निशान लगा दिया। अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में शांतिपूर्ण विरोध करते लोगों पर तालिबान द्वारा फायरिंग की घटना विचलित करती है। इस घटना में कम से कम तीन लोगों के मारे जाने और करीब एक दर्जन के घायल होने की सूचना है। नागरिकों की ओर से तालिबान के शांतिपूर्ण विरोध की खबरें कुछ अन्य शहरों से भी मिल रही हैं। काबुल में भी कुछ महिलाओं के हाथों में पोस्टर लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का विडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें और विडियो बताते हैं कि हिंसा और दहशत का इतिहास रखने वाले तालिबान के खिलाफ वहा आवाजें उठ रही हैं और उससे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा।

इससे यह भी पता चलता है कि तालिबान ने भले ही देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, लेकिन सभी लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि पिछले 20 वर्षों में अफगानिस्तान में बड़े बदलाव आए थे। समाज में खुलापन आया था। लड़कियों को काम करने और पढ़ने की आजादी मिली थी। परदे में रहने की बंदिशें नहीं थीं। इस बीच, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर हुईं। अफगानिस्तान में 11 फीसदी लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है, जो साल 2000 में शून्य फीसदी था। इन सबके बीच प्रशासन से लोगों की उमीदें भी बढ़ी हैं। वहीं, 1996-2001 के बीच जब तालिबान का देश पर राज था, तब अफगानिस्तान मध्ययूगीन दौर में चला गया था। औरतों पर तमाम बंदिशें थीं। पुरुषों को दाढ़ी रखनी पड़ती थी। अपराधों के लिए बीच सड़क पर सजा दी जाती थी। इन प्रदर्शनों को देखकर लगता है कि लोग उस दौर के जुल्म को भूले नहीं हैं और वे पिछले 20 वर्षों में मिली आजादी भी गँवाने के लिए तैयार नहीं हैं। इन विरोध प्रदर्शनों को जिस तरह से दबाने की कोशिश हुई, उसने नई और सुधरी हुई छवि के तालिबान के दावों पर भी सवालिया निशान लगा दिया। यूं तो राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने देश भर में आम माफी का ऐलान किया। लोगों से बेखटके सामान्य जीवन जीने की अपील की। महिलाओं को शरीयत के मुताबिक सरकार तक में हिस्सेदारी देने जैसी बातें भी कीं। लेकिन जलालाबाद की घटना से लगता है कि तालिबान बदल नहीं है, वह सिर्फ बदलने का दिखावा कर रहा है। वह भी इसलिए कि देश पर शासन करने के लिए उसे लोगों का समर्थन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वीकृति चाहिए। जलालाबाद और अन्य शहरों में अगर तालिबान ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने दिया होता तो शायद उसे उसके बदलने का संकेत माना जाता। वह दुनिया को दिखा सकता था कि तालिबान असहमति का सम्मान करना जानते हैं। मगर निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की यह घटना बताती है कि उसकी कथनी और करनी में काफी फर्क है। अभी तक के संकेत देखकर यह भी कहना मुश्किल है कि तालिबान बदल गया है।

# सफर में सफरिंग से क्या डरना!

जोगा सिंह

अगर एक आम भारतीय और एक यूरोपियन शिमला जाएंगे तो वे वहां क्या करेंगे। कुछ भारतीय युवाओं के बारे में भी अच्छे से जानता हूँ इसलिए बता सकता हूँ कि वे सबसे पहले एक महंगा होटल तलाशेंगे और फिर रुम बुक करेंगे। फिर खाने का ऑर्डर देंगे, छक्कर मध्याह्नी शराब पीकर सो जाएंगे। सुबह उठकर वापिस घर चले जाएंगे। पैसे की बर्बादी के साथ बस इतना ही था उनका धूमना और एंजॉय। अब समझिएगा कि एक यूरोपियन वहां क्या करेगा। वह किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ा जाएगा और अपना टैट गाड़ देगा। वह रातभर उस पहाड़ की चोटी पर बर्फीली हवाओं के संग रहेगा। इस बीच हो सकता है कि वहां बारिश भी हो जाए, तूफान भी आ जाए लेकिन वह हर चीज को एंजॉय करेगा। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ फोटो या विडियो भी शूट करेगा। इस बीच, जो भी उसके पास खाने और पीने के लिए है उसी से काम चलाएगा। यह भी संभव है कि वह वहां खींच फोटो या विडियो को बेचकर वह अपने दूर का कुछ खर्चा भी निकाल ले। वहां अपनी हर गतिविधि में उसे जाखिम उठाना पड़ सकता है लेकिन वह उसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होकर आया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय युवक के जीवन में सब कुछ पहले से ही निश्चित था। उसने एक तरह के बने बनाए रूल के आधार पर अपना

आनंद निश्चित किया था। उसका जिदगा में सब कुछ पहल से सट था। कितना महंगा होटल लेना है। होटल उसके लिए कितना सुरक्षित है। रूम हाईटर है या नहीं। बाथरूम में गर्म पानी आता है या नहीं। मेन्यू में कौन-कौन-सा खाना ऑर्डर करना है। सुबह ब्रैकफास्ट में क्या लेना है। और कमरा कितने बजे चेक आउट करना है। जीवन में जब हर चीज़ निश्चित होती है तो हम उसी के मुताबिक चलते हैं। तब खुद को उसके बाहर नहीं निकाल पाते। जबकि पहाड़ की चोटी पर उस यूरोपियन विंडिंग में कुछ भी निश्चित नहीं है। ज्यों ही वह फैसला करता है कि होटल में न रहकर किसी पहाड़ की चोटी पर रह्णा, तभी से उसके जिंदगी में मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। उसका दिमाग एक कमांडो की तरफ चारों दिशाओं में दौड़ने लगता है कि कौन-सी चोटी मेरे लिए ठीक रहेगी। चोटी कितनी ऊँची होनी चाहिए। वहां कौन सी मुश्किलें आएंगी और उनका कैसे डटकर मुकाबला करना है। यूरोपियन के मन में तनाव पैदा होगा और उसको इसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा। अब बताइये कि आपकी तरफ कौन देख रहा है। दूसरी तरफ, उस भारतीय युग के मन कोई तनाव नहीं। वह रातभर नशे में रहेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह कहां सोया हुआ है। जब वह होटल से निकलेगा तो उसे यह लगेगा कि कोई फायदा नहीं हुआ यहां आने का क्योंकि मुझे तो कोई नसीहत नहीं दिया गया। उसके जीवन में कुछ नया घटित नहीं हुआ, कोई नया विचार पैदा नहीं हुआ।

का सामना करना पड़ा जिससे जीवन के प्रति उसको नई समझ पैदा हो गई क्योंकि उसका अनुभव अद्भुत रहा। उसने आज जीवन के प्रति एक नई खोज की क्योंकि वह पहले से ज्यादा बौद्धिक हो गया। उसके अंदर आत्मविश्वास, हौसला, निररता जैसे गुणों की बढ़ोतारी हो गई। तो फिर बताइए कि यहां असल आध्यात्मिक कौन है। यूरोपियन को जो नशा हुआ वह नशा कभी नहीं उतरेगा। अब आप ही बताओ कि धार्मिक ग्रंथों वाला आनंद उस यूरोपियन ने लिया या भारतीय युवक ने। दोनों में से अध्यात्म के पनपन के अवसर किस में ज्यादा है। मेरे हिसाब से, अध्यात्म का मतलब आत्मा का ज्ञान, खुद के ज्ञान से है। अब खुद का ज्ञान होटल में एंजॉय करने से ज्यादा होगा या पहाड़ की चोटी पर संघर्ष करने से। किसी भी काम और उसके प्रबंधन को बेहतर करते रहने की स्थिति को अध्यात्म कहत हैं। लेकिन हम लोग बेहतर करने की बजाय उसे दोहराने लगते हैं। इससे जीवन में मौलिकता खत्म हो जाती है और जीवन कर्मकांड में बदल जाता है। फिर कर्मकांड पाखंड में बदल जाते हैं और यही पाखंड आने वाली पीढ़ियों के लिए एक परंपरा बन जाते हैं। हम यूरोपियन पर कई इल्जाम लगाते हैं जबकि सच यह है कि हमारी संघर्ष और खुद के ज्ञान में कोई रुचि नहीं। उधर, बहुत-से विकसित देश धार्मिक पाखंडों से दूर हो रहे हैं, वहां चर्च में जाने वाले लोगों की संख्या लगातार घट रही है। बहुत-से चर्चों को तो स्कूलों में बदला जा रहा है। विकसित देशों में नास्तिकों की संख्या भी ज्यादा मिलेगी।

**इतिहास देखे आखिर देश के बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार है।**

## इक़बाल हिन्दुस्तानी

14 अगस्त 1947 का दश का बटवरा हुआ था। इस दिन पाकिस्तान बना था। लाखों लोग अपना घरबार छोड़कर पाक से भारत और भारत से पाकिस्तान गये थे। 1950 तक 4000 मुसलमान हर दिन रेल से पाकिस्तान जाते रहे। बंटवरे के दौरान लगभग 90 लाख शरणार्थी पंजाब से पाकिस्तान गये तो करीब 12 लाख उधर से भारत आये। दोनों तरफ हुए दंगों में 13 लाख लोग मारे गये तो एक लाख से अधिक महिलाओं के साथ बर्बर बलात्कार हुए। इतना ही नहीं डेढ़ करोड़ लोग विस्थापन को मजबूर हुए। सच है विभाजन विभीषिका ही था लेकिन उसका स्मृति दिवस मनाने से अब क्या हासिल होगा।

उसके हाँठों की तरफ ना देख वो क्या कहता है,

उसके हाठों का तरफ ना दख वा क्या कहता है,  
उसके क़दमों की तरफ देख वा किधर जाता है।।  
पीएम मोदी ने कहा है कि यह दिन हमें भेदभाव वैमनस्य और दुर्भावना  
के ज़हर को खत्म करने के लिये न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता सामाजिक सद्दाव और मानवीय संवेदनाये भी मजबूत होंगी।  
उनकी बातें सुनने में तो अच्छी और बेहतर लगती हैं। लेकिन उनकी सरकार की कथनी करनी में अब तक ज़मीन आसमान का अंतर देखा गया है। हमारे पीएम आंदोलनकारियों का कपड़ों से पहचानने एक राज्य का चुनाव जीतने को कब्रिस्तान शमशान और ईद दिवाली पर बराबर बिजलौ व धर्म के आधार पर नागरिकता देने वाली विभाजनकारी कानून सीएण बनाते हैं। वे खुद को हिंदू और राष्ट्रवादी एक साथ जोड़कर बताने में गरेज नहीं करते। वे अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग पर रहस्यमयी चुप्पी साथ लेते हैं। जबकि बहुसंख्यकों की धार्मिक गतिविधियों में देश के एक धर्मनिर्णय राष्ट्र होने के बावजूद खुलकर हिस्सा लेते हैं। वे दलितों से होने वाले पक्षपात और जातीय हमलों पर भी रणनीतिक ढंग से चुनचुनकर बयान देते हैं। वे खुद को पिछऱी जाति का बताते हैं। लेकिन

उनका जात का गणना करान स परहज़ करत ह। व गराबा किसामहिलाओं और कमज़ोर वर्गों की समस्याओं पर कभी गंभीरता से विचार कर समाधन का प्रयास करते नज़र नहीं आते। यहां तक कि वे मुख्य विरोधी दलों विपक्ष शासित राज्यों सेकुलर निष्पक्ष और योग्य हिंदुओं भी असहमति जताने पर सीधे संवाद और संघ परिवार के कुछ आर्थिक साहाय्यों द्वारा भाजपा विरोधियों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार नारेबाजी या हमलों पर कभी कठोर शब्दों में निदा या कानूनी कार्यवाली उसी शैली में नहीं करा पाते जिस तरह से अल्पसंख्यकों दौलतों या कुछ गरीबों द्वारा ऐसी ही कोई विवादित या गैर कानूनी हरकत करने पर सरकार बेहद सक्रियता अति उत्साह और दमन की भावना का प्रदर्शन करती रहती है। क्या यह समानता का व्यवहार कहा जा सकता है। ऐसी ही अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के आरोप कांग्रेस सपा बसपा व अन्य क्षेत्रीय दलों पर भाजपा लेबे समय से लगाती रही है। जो आज खुद भाजपा पर बहुसंख्यक वोटबैंक की राजनीति करने को लेकर लग रहे हैं। जानकारी लागों का तो कहना यह रहा है कि देश का बंटवारा एक दुखद और डरावना दिन था। इस दिन को बुरा सपना मानकर भूल जाना ही बेहतर है। आज भी भारत में ऐसे लागों की काफी बड़ी तादाद है। जिनविभाजन की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। लाखों लोग रातों रात अपार घर परिवार रिश्तेदार दोस्त स्टेट्स काराबार ज़मीन जायदाद जेवर दौलत पूजा स्थल और अपनी जन्मभूमि छोड़कर लुटपिटकर इधर से उधर और उधर से इधर आये और गये। 14 अगस्त भारत के इतिहास की मनहूस तारीख है जो आंसुओं से लिखी गयी। दरअसल यह दिवंगी भावनाओं और खून के रिश्तों का बंटवारा था। यह भी सच है कि भुलाई की लाख कोशिशों के बावजूद भारतमाता के सीने पर लगा यह घाट लंबे समय तक हरा रहेगा और बेकसर इंसानों असहाय औरतों व मासूम बच्चों की दिल को चीर देने वाली चौखंडें आने वाली कई पीढ़ियों के दिल दिमाग पर दस्तक देती ही रहेंगी। देखना यह होगा कि विभाजन किस हालात में हुआ। इसके लिये कौन कौन जिम्मेदार था। वे कौन से कारण

थे जिनका वजह से बंटवारा अपारहन्य हो गया। सगल यह भी हाक जब बंटवारा तय हो ही गया था तो इसके लिये तय 8 माह का समय आबादी के इधर से उधर शांतिपूर्वक आने जाने के लिये अंग्रेजों द्वारा क्यों नहीं दिया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सच्चर कमीटी की सिफारिशों पर अमल रोकने के लिये एक याचिका दायर की गयी थी। उसमें यह भी मांग की गयी है कि देश के बंटवारे के लिये गांधी जी नेहरू और पटेल को दोषी घोषित किया जाये। इससे पहले मुहम्मद अली जिनाह और अंग्रेजों को बंटवारे लिये जिस्मेदार बताया जाता रहा है। हालांकि जिनाह की पहल पर मुस्लिम लीग ने 1940 में पहली बार अलग मुस्लिम देश का प्रस्ताव पास किया। लेकिन इतिहास गवाह है कि 1937 में ही हिंदू महासभा वीर सावरकर की हिंदू मुस्लिम टू नेशन थ्योरी पर काम कर रही थी। इतना ही नहीं एक बड़ा वर्ग यह भी मानता है कि भारत के बंटवारे लिये मुसलमान जिस्मेदार हैं। जबकि सच यह है कि जो मुसलमान आज भारत में रहते हैं। वे बंटवारे के कभी भी पक्ष में नहीं थे। उनके पास पाकिस्तान जाने का विकल्प था। लेकिन वे नहीं गये। अफसोस तब होता है। जब भारत में रहने वाले देशप्रेमी मुसलमानों से ही देशभक्ति का प्रमाण मांगा जाता है। कम लोगों को पता होगा कि बंटवारे के लिये जनमत करने को 1946 में जो चुनाव हुआ था। उसमें देश की कुल आबादी में से केवल 14 प्रतिशत उन लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। जिनके पास ज़मीन थी, आयकरदाता थे और अपर प्राइमरी या मैट्रिकुलेशन पास थे। इन 14 प्रतिशत में से भी मुसलमान मात्र 3.25 प्रतिशत थे। उस समय कुल मतदान 58.5 प्रतिशत हुआ था। जिससे मुसलमानों की कुल आबादी में से 1.65 प्रतिशत ने वोट दिया था। सबसे बड़ी बात मुसलमानों ने केवल उन 82 सीटों पर वोट डाले थे। जो उनके लिये रिजर्व थीं। उनमें से केवल 49 सीट मुस्लिम लीग जीती थी। जो कुल सीटों का 55 प्रतिशत होती है। यानी मुसलमानों की कुल आबादी में से एक प्रतिशत से भी कम यानी 00.82 ने यह तय किया था कि पाकिस्तान बनना चाहिये।

रेप और मर्डर जैसे केस आपसी समझौते से रद्द नहीं होते

राजशं चाधरा

प्रेषण रूपों का बाहरी इष्ट पदा होने के पावर का नाम होता है कि यह कास वापस हो सकता है और किन मामलों में शिकायती केस वापस नहीं ले सकता है यह बेहद अहम कानूनी सवाल है। कानूनी जानकारों के मुताबिक, गंभीर किस्म के अपराध जैसे रेप और मर्डर मैं समझौते के आधार पर केस रद्द नहीं हो सकता। इस बारे में कानून में क्या प्रावधान किया गया है, यह जानना जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट के वकील मुरारी तिवारी बताते हैं कि सीआरपीसी की धारा-320 के तहत आमतौर पर जो अपराध कम गंभीर किस्म के हैं उनमें समझौता हो सकता है। मसलन आपराधिक मानहानि, धमकी देना, जबरन रास्ता रोकना आदि या मामूली मारपीट का केस। कुछ अपवाद छोड़ दें तो 3 साल तक की सजा वाले केस इस दायरे में आते हैं। ऐसे मामले में अगर शिकायती चाहता है कि वह केस वापस ले ले तो कोर्ट के सामने अर्जी दाखिल करता है कि उसका आरोपी

कर रखा रसमझाता हो जाए हूँ और न करपाई बढ़ कर जाएगा कोट्ट। अर्जी पर विचार करके कार्रवाई बंद कर देती है। दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट राजेश शर्मा बताते हैं कि अगर आरोपी और शिकायती पक्ष के बीच समझौता हो जाता है तो केस हाई कोर्ट की इजाजत से ही रद्द हो सकता है।

इसके लिए धारा-482 के तहत अर्जी दाखिल की जाती है। मसलन दहेज प्रताङ्का का केस हो और दोनों पक्षों में समझौता हो गया हो। धोखाधड़ी का मामला हो और शिकायती व आरोपी के बीच समझौता हो जाए तो दोनों पक्षों के बीच समझौते का डॉक्यूमेंट तैयार होता है। उसमें लिखा जाता है कि दोनों पक्षों ने आपसी रजामंदी से केस में समझौता किया है और बिना किसी दबाव के शिकायती केस वापस लेना चाहता है। ऐसे मामले में हाई कोर्ट अर्जी से संतुष्ट होने पर केस रद्द करता है कि बिना किसी दबाव आपसी रजामंदी से केस वापस लिया जा रहा है। अगर कोट्ट संतुष्ट न हो तो अर्जी खारिज हो सकती है। इनमें दहेज प्रताङ्का, गैर इरादतन हत्या का प्रयास व जालसाजी आदि मामले आते हैं। कानूनी जानकार और दिल्ली हाई कोर्ट

को पहली अग्रणी तरफ बताता है कि भारत दिल्ली के नामचे न रामजन्म आधार पर केस खारिज नहीं होता है। जैसे रेप, मर्डर, डकौती, फिराती लिए अपहरण या महिलाओं के खिलाफ होने वाले सेक्सुअल ऑफेंस में हाई कोर्ट से भी केस रद्द नहीं होगा। ऐसे मामले में समझौते के आधार पर केस रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। क्रिमिनल लॉयर विजय बिश्नोई बता है कि 2012 में ज्ञान सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था दी थी कि रेप, डकौती और मर्डर के केस में समझौते के आधार पर केस रद्द नहीं हो सकता। उस फैसले के पहले रेप से संबंधित मामलों लड़का और लड़की के बीच समझौते के आधार पर केस खारिज हुए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जो फैसला दिया उसके बाद इन मामलों के केस रद्द नहीं हो सकता। दरअसल ऐसे अपराध को सिर्फ पीड़ित के खिलाफ किया गया अपराध नहीं माना गया है बल्कि समाज के खिलाफ किया गया अपराध माना गया है। इसी वजह से आरोपी और पीड़ित के बीच समझौते के आधार पर गंभीर किस्म के अपराध में केस रद्द नहीं हो सकता।

# काबुल में भारत अब क्या करे

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

यह तो अच्छी बात है कि भारत सरकार की तालिबान से दूरी के बावजूद उन लोगों ने अभी तक भारतीय नागरिकों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमारा दूनावास सुरक्षित है। हमारे जहाज सुरक्षित हैं और हमारे लोगों को भी भारत लौटने दिया जा रहा है। भारत सरकार और हमारा उड्डयन मंत्रालय भी पर्याप्त सक्रिय हैं। यह ध्यान देने लायक है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरह अपने नागरिकों को काबुल से निकालने के लिए हमें फौजें नहीं भेजनी पड़ रही हैं। इन सब राष्ट्रों के तालिबान से सीधे और गोपनीय संपर्क बने हुए हैं, जिनका फायदा हमें अपने आप मिल रहा है। भारत सरकार अभी तक असमंजस में पड़ी हुई है। वह यह तय ही नहीं कर पा रही है कि काबुल के इस नए परिदृश्य से कैसे निपटे। उसका यह असमंजस स्वाभाविक है, क्योंकि जब पिछले दो साल से अमेरिका, चीन, रूस, तुर्की जैसे देश उनसे सीधी बात कर रहे थे तो हम अमेरिका के भरोसे बैठे रहे। अभी भी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर न्यूयार्क में बैठकर सुन्युक्त राष्ट्र संघ में अपनी 25 साल पुरानी बीन ही बजा रहे हैं। उन्होंने सही बात कही है कि अब काबुल दुबारा आतंकवाद का शरण-स्थल नहीं बनना चाहिए लेकिन यह असली मुद्दा नहीं है। असली मुद्दा यह है कि काबुल में इस समय ऐसी सरकार कैसे बने, जो सर्वसमावेशी हो, जिसमें सभी 14-15 कबीलों और जातियों को प्रतिनिधित्व मिल जाए।

राजनीतिक दृष्टि से उसमें जाहिरशाही, खल्की, परचमी, नादर्न एलायंस, तालिबानी, हजारा और सभी छोटे-मोटे गुटों के लोग शामिल हो जाएं। लगभग 40 साल बाद काबुल में ऐसी सरकार बने, जैसी कभी दोस्त मोहम्मद, अमीर अबुर रहमान, अमानुल्लाह, जाहिरशाह या सरदार दाऊद की रही हैं। अफगानिस्तान में जब तक एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और विदेशी दबाव से मुक्त सरकार नहीं बनेगी, वहां शांति और स्थिरता आ ही नहीं सकती। भारत ऐसी सरकार बनवाने में सार्थक भूमिका अदा कर सकता है। पिछले 200 साल में ब्रिटेन, रूस और अमेरिका को पठान धूल चटा चुके हैं। अब शायद चीन की बारी है। पाकिस्तान को मोहरा बनाकर यदि अब चीन अपनी चाल चलेगा तो वह भी मुँह की खाएगा। पाकिस्तान को अफगान चरित्र की खूब समझ है। इसीलिए वह कोशिश कर रहा है कि काबुल में एक सर्वसमावेशी सरकार बन जाए लेकिन यह आसान नहीं है। हम देख रहे हैं कि जलालाबाद में तालिबान और स्थानीय पठानों में जानलेवा भिड़त हो गई। सच्चाई तो यह है कि तालिबान का भी कोई अनुशासित एकरूप संगठन नहीं है। उनमें भी जगह-जगह खुदमुखार नेता सक्रिय हैं। वे मनमानी करते हैं। वरेता, शूरा, पेशावर शूरा और मिरान्शाह शूरा तो प्रसिद्ध हैं ही, गैर-पठान क्षेत्रों में भी तालिबान सक्रिय हैं। इसीलिए जहां-तहां वे हिंसा और तोड़फोड़ भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन कुल मिलाकर अभी हालत चिंताजनक नहीं हैं। काबुल और विदेशों में बसे कुछ अफगान नेताओं ने मुझे फोन पर बताया है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि तालिबान जैसी घोषणाएं कर रहा है, उन पर वे अमल करेंगे। यदि तालिबान का अमल 1996-2001 जैसा रहा तो इस बार उनका 4-5 साल चलना भी मुश्किल हो जाएगा। वे 1929 की बच्चा-ए-सरका की 9 माह की सरकार की तरह अर्ध पर काबिज होंगे और जल्दी ही खिसक लेंगे।

अजय कुमार

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट के बाद गुर्जर समाज सबसे प्रभावी भूमिका में है। जहां से गुर्जर समाज के दर्जनों विधायक और सांसद चुनकर आते हैं लेकिन हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा गुर्जर समाज इस बार उपेक्षा के चलते किसान आंदोलन में सहभागी बन रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार करवट बदल रही है। अभी तक भारतीय किसान यूनियन नये कषि कानून के विरोध में अलख जलाए हुई थी जिससे भाजपा को काफी नुकसान होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। इसकी काट के लिए भाजपा ने भी 16 अगस्त से वेस्ट यूपी में आशीर्वाद यात्राएं शुरू कर दी हैं। बीजेपी नहीं चाहती है कि नये कषि कानून के विरोध के चलते जाट वोटर भाजपा से नाराज हो जाएं इसके लिए भाजपा ने पश्चिमी यूपी में अपने सांसदोंविधायकों और नेताओं की फैज उतार दी। भाजपा की नजर जाट समुदाय को मनाने की है जाट मानेंगे या नहीं यह तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे लेकिन जिस तरह से मोदी, योगी सरकार जाट नेताओं के सामने दण्डवत हो रही हैं उससे पश्चिमी यूपी के गुर्जर नेता नाराज हो गए हैं। पश्चिमी यूपी में गुर्जर दूसरा सबसे सशक्त गोट बैक है। गुर्जरों के खांटी नेता डॉण्‌यशशीर सिंह की राष्ट्रीय लोकदल :रालोदद्ध में घर वापसी के बीच पांच सिंतंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत पर योगी सरकार और भाजपा की पैनी नजर लगी हुयी है। यूपी में विधानसभा चुनाव में यूं तो अभी करीब आठ महीने का समय बाकी है लेकिन भाजपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन नये कषि कानून के खिलाफ जाट-गुर्जरों की एकजुटता ने भी भाजपा को बैचैन कर रखा है।

ज्ञानशंकर यात्रा व नकाउ लू लू माजपा हिकर रालाद म वपसा अमरा आर वरह सह जस कहावर नता को माजपा सरकार म हाइ

दूसरा आर वरद्र सह कद्वार नेता का भाजपा सरकार म हाइ पर रखा गया है। उन्हें राज्यसभा भेजने की उम्मीद गुर्जर समाज पा हुए था। वह पूरी नहीं हो सकी है। यहां तक कि वीरेंद्र सिंह जैसे कद्वार नेता को विधान परिषद का सदस्य भी नहीं बनाया गया। इसके चल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज में भाजपा के प्रति नाराजगी बढ़ जा रही है।

गुजर समाज का नाराजगा का कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां कभी कई कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री गुर्जर समाज से होते थे वहीं इस समय मात्र एक राज्यमंत्री का होना गुर्जर समाज के बहुत नहीं उत्तर रहा है। इसी के चलते गुर्जर समाज सत्तारूढ़ भाजपा की घोषणा से आहत होकर किसान आदोलन में सहभागी बनने जा रहा है। इसकी बानगी गुर्जर समाज के प्रबुद्ध चिंतक व अखिल भारतीय गुर्जर समाज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ० यशवीर सिंह की राष्ट्रीय लोडल में वापसी के रूप में देखी जा सकती है। उनके आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। सियासत के जानकारी कहते हैं कि यशवीर सिंह के रूप में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज की एक बड़ी ताकत साथ मिली है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को भी पिछे दिनों गुर्जर नेता अतुल प्रधान के आह्वान पर मवाना में आयोजित प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक कोतवाल धन सिंह गुर्जर की मूर्ति अनावरण के बहाने गुर्जर समाज अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट के पश्चात गुर्जर समाज के बीच से भारतीय जनता पार्टी की दिनोंदिन पड़ती ढाँलों पकड़ पाएं कुश नहीं लगा तो चौधरी चरण सिंह के नारे छजगाष अर्थात् अहीर गुर्जर ए जाट ए राजपूत का गठजोड़ मुस्लिम वर्ग के साथ मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रभावी असर दिखाते हुए भाजपा विनिगल नहीं जाए।



